

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 मार्च, 2013

संख्या सा०का०नि० 11/संवि/अनु० 309/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग I सामान्य

1. ये नियम हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2013 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) “प्रशासकीय सचिव” से अभिप्राय है, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग;

(ख) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;

(ग) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(घ) “निदेशक” से अभिप्राय है, निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा;

(ङ) “परीक्षा” से अभिप्राय है सरकार द्वारा आयोजित या इसके द्वारा किसी एजेंसी के माध्यम द्वारा आयोजित हरियाणा राज्य लेखा सेवाएं परीक्षा भाग - I तथा II (सामान्य शाखा);

(च) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(छ) “संस्था” से अभिप्राय है,—

(i) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था; या

(ii) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था;

(ज) “मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निर्गमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजना के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो; तथा

(झ) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य लेखा (ग्रुप ग) सेवा।

भाग-II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा
उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में दर्शाए गए पद होंगे तथा सेवा के सदस्य उनके सामने वर्णित वेतनमानों में वेतन लेंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किए
गए उम्मीदवारों की
राष्ट्रीयता, अधिवास
तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो प्रथम जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु।

5. कोई भी ऐसा व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अगले पूर्ववर्ती मास के प्रथम दिन को इक्कीस वर्ष की आयु से कम या वालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति निदेशक द्वारा की जायेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 2 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त/व्यक्तियों की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 3 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

योग्यताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, यदि आपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध न हों, तो आयोग के विवेक पर अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में पचास प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकती है, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,—

अयोग्यताएं

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति के इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में अनुभाग अधिकारी की दशा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—

भर्ती का ढंग।

(i) 30 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ii) 70 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(2) पदोन्नति द्वारा सेवा में पदों पर नियुक्ति करने के प्रयोजन के लिये उन सभी उम्मीदवारों की सूची हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग -I तथा II (सामान्य शाखा) पास की है, उप नियम (3) में अधिकथित रीति में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर बनाई जाएगी तथा नियुक्ति सूची में ज्येष्ठता के अनुसार होगी।

(3) उन उम्मीदवारों के नाम जिन्होंने किसी सत्र में भाग-II परीक्षा पास की है उप नियम (2) में निर्दिष्ट सूची में पश्चात्तवर्ती सत्र में आयोजित उक्त परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के नाम से ऊपर रखे जाएंगे।

(4) किसी सत्र के दौरान आयोजित किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं में बराबर अंक प्राप्त करने वाले दो या अधिक उम्मीदवारों की दशा में उनके नाम उनके अपने कार्यालय जिससे वे संबंधित हैं में उनकी वरिष्ठता के आधार पर उप नियम (2) में निर्दिष्ट सूची में दर्ज किये जाएंगे तथा यदि वे भिन्न-भिन्न कार्यालयों से संबंधित हैं, तो आयु में बड़ा उम्मीदवार आयु में छोटे से वरिष्ठ होगा।

परिवीक्षा।

(5) केवल उपरोक्त उप नियम (2) में निर्दिष्ट परीक्षा पास करने से या उपरोक्त उप नियम (3) के अधीन बनाई गई सूची में ज्येष्ठता, जैसी भी स्थिति हो, किसी उम्मीदवार की सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान करने के लिए नहीं समझी जाएगी।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि वह अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी उच्चतर पद पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किंतु इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से हटा सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो,—

- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
- (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से, पुष्ट कर सकता है; या
- (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; और

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो,—

- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से हटा सकता है तथा यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्वपद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; और
- (ii) उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है; तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. यदि कोई व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है परीक्षा अवधि के भीतर परीक्षा पास नहीं करता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। परीक्षा।

12. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी : ज्येष्ठता।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी,—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरण किए गए थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पूर्व नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्ति में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल, भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

13. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

- (i) कोई कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो या गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

14. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये अथवा बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

15. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा शासित होंगे :

अनुशासन, शास्तियां
तथा अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग तथा घ में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उपनियम (1) के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट ग तथा घ में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगावाएगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगावाएगा।

टीका लगवाना।

17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राज्यनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

राजनिष्ठा की शपथ।

18. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

ढील देने की शक्ति।

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

विशेष उपबंध।

20. इन नियमों में दी कोई भी बात, सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

आरक्षण।

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

21. हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1982, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं :

निरसन तथा
व्यावृत्ति।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाई इन नियमों के अनुरूप उपबंधों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	अनुभाग अधिकारी	29	376	405	9300-34800+4600/- रुपए ग्रेड वेतन

परिशिष्ट ख
(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हों
1	2	3	4
1.	अनुभाग अधिकारी	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से 60 प्रतिशत अंकों (प्रथम श्रेणी) सहित वाणिज्य में स्नातक डिग्री (बी० काम०) तथा किसी विख्यात संगठन में लेखा का तीन वर्ष का अनुभव रखता हो; या</p> <p>(ii) 55 प्रतिशत अंकों सहित वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री (एम० काम०) तथा किसी विख्यात संगठन में लेखा का तीन वर्ष का अनुभव रखता हो; या</p> <p>(iii) किसी विख्यात संगठन में लेखा का तीन वर्ष के अनुभव सहित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान से एकीकृत व्यवसायिक सक्षमता पाठ्यक्रम प्रमाण-पत्र (आई.पी.सी.सी.)/ चार्टर्ड अकाउंटेंट (मध्यवर्ती) रखता हो;</p> <p>(iv) दसवीं स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।</p>	<p>पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा-</p> <p>(i) हरियाणा सरकार के उन कर्मचारियों में से जिनकी 3 वर्ष की नियमित सेवा हो और हरियाणा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा (सामान्य शाखा) भाग-1 तथा II की परीक्षा पास की हो।</p> <p>(ii) दसवीं स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान हो।</p>

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 15 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुभाग अधिकारी	निदेशक	छोटी शास्तियां (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कंपनी तथा संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है, संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना; बड़ी शास्तियां (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी	निदेशक	प्रशासकीय सचिव	सरकार

1	2	3	4	5	6	7
				ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;		
			(viii)	निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ;		
			(ix)	अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;		
			(x)	सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;		
			(xi)	सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतया निरर्हता होगी।		

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 3]

क्रमांक संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	अनुभाग अधिकारी	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय साधारण/ अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।	निदेशक	प्रशासकीय सचिव	सरकार

संजीव कोशल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 28th March, 2013

No. G.S.R. 11/Const./Art.309/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Subordinate Accounts (Group C) Service, namely:—

PART I - GENERAL

1. These rules may be called the Haryana State Accounts Subordinate (Group C) Service Rules, 2013. Short title.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,— Definitions.

- (a) "Administrative Secretary" means the Principal Secretary to Government Haryana, Finance Department;
- (b) "Commission" means the Subordinate Staff Selection Commission, Haryana;
- (c) "Direct Recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;
- (d) "Director" means Director, Treasuries and Accounts Department, Haryana;
- (e) "Examination" means Haryana State Accounts Services Examination Part I and II (Ordinary Branch) conducted by the Government or conducted by it through any agency;
- (f) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;
- (g) "Institution" means,—
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;
- (h) "Recognized University" means,—
 - (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules.
- (i) "Service" means the Haryana State Subordinate Accounts (Group C) Service.

PART II - RECRUITMENT TO SERVICE

Number and
Character of
Posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix 'A' to these rules and the members of the Service shall draw pay in the pay scales mentioned thereagainst :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality,
domicile and
character of
candidates
appointed to
service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is;—

- (a) a citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school, or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to the post in the Service by direct recruitment who is less than twenty one years or more than forty years of age, on or before the 1st day of month next preceding the last date of submission of application to the Commission.

Appointing
Authority.

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Director

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 2 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 3 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed otherwise than by direct recruitment :

Qualification.

Provided that in case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physical Handicapped persons, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person :—

Disqualifications.

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service in the case of Section Officer shall be made,—

Method of recruitment.

- (i) 30% by direct recruitment; and
- (ii) 70% by promotion; or
- (iii) by transfer/deputation an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) For the purpose of making appointment to the posts in the Service by promotion, a list of all the candidates who pass the Haryana State Subordinate Accounts Service Examination Part-I and II (Ordinary Branch) shall be maintained on the basis of marks obtained in the manner laid down in sub rule (3) and appointment shall be made as per the seniority in the list.

(3) The name of a candidate who passes Part II of Examination in any session shall be placed in the list referred to in sub-rule (2) above the name of the candidate passing the said examination held in a subsequent session.

(4) In the event two or more candidates obtaining same marks at any examination or examinations held during any session, their names shall be entered in the list referred to in sub-rule (2) on the basis of their seniority in the office to which they belong and if they belong to different offices, the candidate elder in age shall be senior to the younger.

(5) The mere passing of the examination referred to in sub-rule (2) or as the case may be the seniority in the list maintained under sub-rule (3) shall not be deemed to confer any right of appointment to any post in the Service upon any candidate.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Provided that,—

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may in the case of an appointment by transfer at the discretion of the appointing authority be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall on the completion of the specified period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) if, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

- (a) If such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services; and
- (b) If such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may—

- (a) if his work or conduct has in its opinion been satisfactory,—
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) If his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory;

- (i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
- (ii) extend his period of probation and thereafter pass such orders, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

11. If a person recruited to the Service by direct appointment does not pass the examination within the period of probation, his services shall be dispensed with.

Examination.

12. Seniority, *inter-se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Seniority.

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to
serve.

13. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under.—

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation, a local authority or university within the State of Haryana;
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, Leave,
Pension and
other matters.

14. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline,
penalties and
appeals.

15. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall be such as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

16. Every member of the Service shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of
allegiance.

17. Every member, of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

18. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Power of
relaxation.

19. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if, it is deemed expedient to do so.

Special
provision.

20. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time :

Reservations.

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent. at any time.

21. The Haryana State Subordinate Accounts (Group C) Service Rules, 1982, are hereby repealed :

Repeal and
savings.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX - A

(See rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of Posts			Pay Band
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1.	Section Officer	29	376	405	Rs. 9300-34800+4600/- Grade Pay

APPENDIX - B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Minimum Academic qualifications for direct recruitment	Academic qualification and experience. if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Section Officer	<p>(i) Bachelors Degree in Commerce (B.Com.) with 60% marks (1st Division) from recognized University having three years experience in an organization of repute; or</p> <p>(ii) Master Degree in Commerce (M.Com.) with 55% marks and having three years experience of Accounts in an organization of repute; or</p> <p>(iii) having certificate Integrated Professional Competence Course(IPCC)/Chartered Accountants (Intermediate) from the Institute of Chartered Accountant India with three years experience in an organization of repute; or</p> <p>(iv) Knowledge of Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or higher education.</p>	<p>By promotion/transfer/deputation—</p> <p>(i) from amongst officials of Haryana Government with three years regular service and who have passed both parts of Haryana Subordinate Accounts Service Examination (Ordinary Branch) conducted by Government or got conducted by it through any agency.</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi/ Sanskrit upto Matric Standard or higher education.</p>

APPENDIX - C

[See rule 15(1)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority	2nd and final Appellate Authority
1	2	3	4	5	6	7
1.	Section Officer	Director	Minor Penalties : (i) warning with a copy in the personal file (character roll); (ii) censure; (iii) withholding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to the Central Government or a State Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and (v) withholding of increments of pay without cumulative effect;	Director	Administrative Secretary	Government
			Major Penalties : (vi) withholding of increments of pay with cumulative effect; (vii) reduction to a lower stage to the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of			

1	2	3	4	5	6
			postponing the future increments of his pay;		
			(viii) reduction to a lower scale of pay grade post or Service which shall ordinarily be a Bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade post of Service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or Service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or Service;		
			(ix) Compulsory retirement;		
			(x) removal from Service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;		
			(xi) dismissal from Service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.		

APPENDIX - D

[See rule 15(2)]

Sr. No.	Designation of Posts	Nature of Order	Authority empowered to make the order	Appellate Authority	Second and final Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	Section Officer	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary/additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) terminating the appointment of a member of the Service otherwise than on his attaining age fixed for superannuation.	Director	Administrative Secretary	Government

SANJEEV KAUSHAL,
Principal Secretary to Government Haryana.
Finance Department.